24.9.2021
P/6/21

राजस्थान – सरकार

-: न्यायालय का नाम :-

तहसीलदार (राजस्व), नोहर

नाम सीगा	नम्बर रजिस्टर	तारीख दायरा	तारीख फैसला	तादाद कागजात क	ख	योग	नं० रजि० मुहा०
धारा 22	16/2021	15 9 2021					

सरकार	ब ना म	हंसराज, भालाराम पि. नानूराम वगै. साकिन खरखण्डी

(श्री वकील) (श्री वकील)

फहरिस्त कागजात

नवम्बर शुमार	तारीख शामिल	विवरण कागजात	तादाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Kiroriwal
Date: 2021.11.11 17:31:45 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत तहसीलदार (राजस्व) मुकाम नोहर स्टेट बनाम हसंराज, भालाराम पिसरान नानूराम वगै0 साकिन खरसण्डी, किस्म मुकदमा धारा 22 उप0 अधि0 1954 मु0नं0/.6....सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीश्यिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
15/09/.2021	पटवारी हल्का ललानिया द्वारा ग्राम खरसण्डी के अप्रार्थीगण संख्या 1 हसराज भालाराम पि0 नानूराम जाति नाई साकिन खरसण्डी द्वारा गै0मु0 रास्ता की भूमि खसरा नं. 124 की कुल 6.942 है0 मे से 0.026 है0 ग्वार 2 भादरराम लादुराम पि0 मोटाराम सुभाष पुत्र मोमनराम जाति कुम्हार साकिन खरसण्डी द्वारा गै0मु0 रास्ता की भूमि खसरा नं. 124 की कुल 6.942 है0 मे से 0.063 है0 ग्वार एवं 0.126 है0 में बाजरी 3 गोपीचन्द सुलतान गोरधन पि0 हरलाल जाति कुम्हार साकिन खरसण्डी द्वारा गै0मु0 रास्ता की भूमि खसरा नं. 124 की कुल 6.942 है0 मे से 0.063 है0 तिल एवं 0.063 में मुंग संवत् 2078 खरीफ फसल काश्त कर अतिक्रमण करने की रिर्पोट पेश करने पर पत्रावली पेशी में ली गयी। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को राज. उप. अधि. 1954 की धारा 22 के तहत नोटिस जारी किया जावे एवं गिरदावर हल्का जबरासर को खडी फसल कुर्क करने हेतु लिखा जाकर पत्रावली दिनांक 24/09/2021 को पेश हो।	
24/9/21	पत्रावली पेश हो ली गयी। अप्रार्थीगण [illegible] नोटिस [illegible] पटवारी [illegible] ILR द्वारा कुर्की रिपोर्ट अप्राप्त रिपोर्ट की प्रतीक्षा में पत्रावली दिनांक 8/10/21 पेश हो।	
8/10/2021	पत्रावली पेश हो ली गयी। ILR द्वारा कुर्की रिपोर्ट पेश नहीं की गई पत्रावली [illegible] ILR को [illegible] अतः ILR को लिखा जाकर रिपोर्ट आने पर पत्रावली पेश हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Kiroriwal
Date: 2021.11.11 17:31:45 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी तहसीलदार (राजस्व) नोहर

प्रकरण संख्या 16 सन् 2021

राज.सरकार

बनाम

हसंराज, भालाराम पिसरान नानूराम वगै0 साकिन खरसण्डी

अन्तर्गत धारा 22 राज.उप. अधिनियम 1954

निर्णय दिनांकः— 28.10.2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का ललानिया ने एक रिर्पोट पी 14 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण 1 हंसराज भालाराम पि0 नानूराम जाति नाई साकिन खरसण्डी द्वारा गै0मु0 रास्ता की भूमि खसरा नं. 124 की कुल 6.942 है0 मे से 0.026 है0 ग्वार 2 भादरराम लादुराम पि0 मोटाराम सुभाष पुत्र मोमनराम जाति कुम्हार साकिन खरसण्डी द्वारा गै0मु0 रास्ता की भूमि खसरा नं. 124 की कुल 6.942 है0 मे से 0.063 है0 ग्वार एवं 0. 126 है0 में बाजरी 3 गोपीचन्द सुलतान गोरधन पि0 हरलाल जाति कुम्हार साकिन खरसण्डी द्वारा गै0मु0 रास्ता की भूमि खसरा नं. 124 की कुल 6.942 है0 मे से 0.063 है0 तिल एवं 0. 063 में मुंग की नाजायज काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है पटवारी हल्का की रिर्पोट प्राप्त होने पर अप्रार्थीगणों के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 22 राज.उप. अधिनियम 1954 का प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगणों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु राज.उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के तहत नोटिस दिया गया अप्रार्थीगण स्वंय से तामिल होकर प्राप्त हुआ है जो शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का पूर्ण अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण को बार—बार आवाजे लगवाई फिर भी अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं। अप्रार्थीगण के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। पटवारी हल्का ललानिया द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रश्नगत भूमि पर नाजायज काश्त करने की रिपोर्ट प्रमाणित होती है। अतः अप्रार्थीगण द्वारा प्रश्नगत भूमि पर नाजायज अतिक्रमण करने के कारण अतिक्रमी घोषित किया जाता है। भू0अ0नि0 जबरासर को मौके से नाजायज अतिक्रमण को हटा कर अप्रार्थीगण को बेदखल करने हेतु आदेश जारी हो। अप्रार्थीगण को भू—राजस्व दर का 50 गुणा के बराबर तावान राशि लगभग रू. 50/— से दण्डित किया जाता है।

भू अभिलेख निरीक्षक हल्का जबरासर द्वारा कुर्क शुदा फसल को दिनांक 21.10.2021 को कुर्क शुदा फसल को निलाम किया गया उच्चतम बोली सुरेश कुमार पुत्र भादरराम जाति जाट साकिन खरसण्डी ने 480 रूपए लगाई जो स्वीकृत की जाती हैं एवं अलग से आदेश जारी हो कि अतिक्रमीयों को मौके से बेदखल कर रिर्पोट पेश करे।

तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का [illegible] मांग कायमी एवं वसूली हेतु अलग से आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.10.2021 को [illegible] इजलास सुनाया गया।

तहसीलदार (राजस्व) नोहर
जिला हनुमानगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Kiroriwal
Date: 2021.11.11 17:31:45 IST
Reason: SelfAttested

28.10.2021	पत्रावली पेशी में ली गई। भू.अभि.निरीक्षक से फर्द निलामी रिपोर्ट दिनांक 25.10.2021 को प्राप्त जो सामिल पत्रावली की गई। सुरेश कुमार पुत्र भादरराम जाति जाट साकिन खरसण्डी ने 480 रूपए की लगाई जो बाद अनुमोदन दिनांक 25.10.2021 को स्वीकृत कर सामिल पत्रावली की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया अप्रार्थीगण को जारी नोटिय स्वंय से बाद तामिल होकर प्राप्त हुआ है फिर भी अप्रार्थीगण हाजिर नही बार–बार आवाजे लगवाई फिर भी अप्रार्थीगण हाजिर नही। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल मे लाई जाती है पटवारी हल्का द्वारा अप्रार्थीगण 1 हंसराज भालाराम पि0 नानूराम जाति नाई साकिन खरसण्डी द्वारा गै0मु0 रास्ता की भूमि खसरा नं. 124 की कुल 6.942 है0 मे से 0.026 है0 ग्वार 2 भादरराम लादुराम पि0 मोटाराम सुभाष पुत्र मोमनराम जाति कुम्हार साकिन खरसण्डी द्वारा गै0मु0 रास्ता की भूमि खसरा नं. 124 की कुल 6.942 है0 मे से 0.063 है0 ग्वार एवं 0.126 है0 में बाजरी 3 गोपीचन्द सुलतान गोरधन पि0 हरलाल जाति कुम्हार साकिन खरसण्डी द्वारा गै0मु0 रास्ता की भूमि खसरा नं. 124 की कुल 6.942 है0 मे से 0.063 है0 तिल एवं 0.063 में मुंग फसल नाजायज काश्त करने की रिपोर्ट प्रमाणित होती है। अतः प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमण करने के कारण अप्रार्थीगण को अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा भू.राजस्व का 50 गुणा के बराबर तावान राशि लगभग 50 रू0 से दण्डित किया जाता है। भू.अभि. निरीक्षक को अलग से आदेश दिये जाते है कि अतिक्रमी को प्रश्नगत भूमि से बेदखल किया जाकर पालना रिपोर्ट सात योम में भिजवाये। पटवारी हल्का/तहसील राजस्व लेखाकार को आदेशित किया जाता है कि तावान की मांग कायम कर वसूली कर रिपोर्ट प्रस्तुत करे। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 28.10.2021 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया । तहसीलदार(राजस्व) नोहर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Kiroriwal
Date: 2021.11.11 17:31:45 IST
Reason: SelfAttested

प्रारूप—क

(देखिये नियम 3)

राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा 22 के अधीन नोटिस

तहसीलदार (राजस्व) तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ के न्यायालय में मिसलेनियस केस संख्या 16 सम्वत् 2078 सरकार बनाम गोपीचन्द, सुल्तान, गोरधन पि- हरलाल वगैरह जाति कुम्हार ग्रा. खरसण्डी

तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़

अतः आपने ग्राम खरसण्डी के ख.न. 124 गै.मु. रास्ता की भूमि पर 0.063 हैक्टेयर एवं 0.063 है कुल की फसल काश्त की है

संवत् 2078 खरीफ फसल काश्त कर अतिक्रमण अनधिभोगी सरकारी भूमि पर अतिचार किया है।

एतद् द्वारा आपको नोटिस दिया जाता है कि आपको दिनांक 24/09/21 से पूर्व उक्त भूमि खाली कर देनी चाहिए या आपको व्यक्तिगत रूप से स्वयं या किसी प्लीडर द्वारा दिनांक के दिन समय 11 बजे हाजिर होना चाहिए और कारण बताना चाहिए कि क्यों नहीं आपको उससे बेदखल कर दिया जावें।

आपसे यह कारण बताया जाना भी आपेक्षित है कि सम्वत् 2078 के दौरान उक्त भूमि पर विचार करने के लिए वार्षिक लगान या कर निर्धारण, यथा स्थिति, को 50 गुनी तक शास्ति क्यों नही अधोरोपित की जावें।

यह ओर नोटिस दिया जावें कि आपने गत कृशि वर्श में उसी भूमि पर अधिकार किया था। यह नोटिस आपका वर्ष 2078 में हुए पचावर्ती अतिचार के संबंध में दिया जा रहा है। आपसे यह कारण बताया जाना भी आपेक्षित है कि क्यों नही आपको ऐसी अवधि के लिए सिविल कारागार के सुपूर्द कर दिया जाये व वार्षिक लगान या कर विवरण यथा स्थिति को 50 गुना तक शास्ति का संदाय करें।

यह नोटिस भी दिया जाता है कि उक्त तिथि को आपको हाजिर न होने पर, मामला आपकी अनुपस्थिति में विनि चत किया जायेगा।

आज दिनांक 15/09/21 को दिन मेरे द्वारा हस्ताक्षारित एवं न्यायालय की मुद्रा अंकित की गई ।

(राज्य सरकार द्वारा अधिकृत)
तहसीलदार (राजस्व)
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Kiroriwal
Date: 2021.11.11 17:31:45 IST
Reason: SelfAttested

21415

अं 8/10/21

फर्द कुर्की एवं सुपुर्दगीनामा

16/21

आज दिनांक : - 8/10/2021 को श्रीमान तहसीलदार साहब

नोहर के आदेशानुसार अतिक्रमी श्री हंसराज मालाराम पुत्र श्री नानूराम

जाति नाई निवासी खरसण्डी की चल / अचल संपति हंसराज मालाराम पि॰ नानूराम जाति नाई सा॰ खरसण्डी द्वारा गै॰मु॰ रास्ता के खसरा नं॰ 124 की 0.026 है ग्वार (2) भादरराम लादूराम पि॰ मोटाराम खुमाराम पुत्र मोमनराम जाति कुम्हार सा॰ खरसण्डी गै॰ मु॰ रास्ता खसरा नं॰ 124 0.063 है॰ ग्वार व 0.126 है॰ बाजरी, (3) गोपीचन्द सुल्तान, गोरधन पि॰ हरलाल जाति कुम्हार सा॰ खरसण्डी द्वारा गै॰ मु॰ रास्ता खसरा नं॰ 124 पर 0.063 है तील व 0.063 है मूंग की फसल को

को कुर्क कर बहक सरकार ली गई एवं पाबंद किया कि कुर्क शुदा संपति खुर्द बुर्द न करे अन्यथा पुलिस कार्यवाही की जावेगी।

उक्त कुर्क संपति श्री .... पुत्र श्री .... जाति ....

राजेन्द्र सिंह पटवारी

निवासी .... की सुपुर्दगी मे देकर हिदायत दी गई कि कुर्क संपति खुर्द बुर्द हो तो रिपोर्ट करे।

तहरीर पढ़कर सुनाकर हस्ताक्षर कराये गए।

Om
8/10/2021

भू॰अ॰नि॰

8-10-2021

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Kiroriwal
Date: 2021.11.11 17:31:45 IST
Reason: SelfAttested

मि॰ नं. 16/21

फर्द निलामी

आज दिनांक 21/10/2021 को श्रीमान् तहसीलदार मोहदय नोहर के आदेश कमांक/राजस्व/21/980 दिनांक 8/10/2021 की पालना में ग्राम खरसण्डी के खसरा नं 124 की गै.मु. रास्ता भूमि में फसल (ग्वार 0.0889 हैं., बाजरा 0.1268 हैं., तील 0.0633 हैं., मूंग 0.0633 हैं.) नाजायज कास्त निम्नाकिंत व्यक्तियों (1) हंसराज भालाराम पि. नाथुराम जाति नाई सा. खरसण्डी (2) मादरराम लादुराम पि. मोटाराम, सुभाष पुत्र मोमनराम जाति कुम्हार सा. खरसण्डी, (3) गोपीचन्द्र, सुलतान गोरधन पि. हरलाल जाति कुम्हार सा. खरसण्डी

द्वारा की गई थी। को बहक सरकार कुर्क कर लिया गया था। उक्त फसल की निलामी हेतु सार्वजनिक सुचना जारी कर ग्राम के मोतबिरान के रूबरू निलामी बुलाई गई वर्तमान में फसल कम वर्षा के कारण कमजोर है ।

निम्नाकिंत वक्तियो नें उपरोक्त फसल की बोली निम्नानुसार लगाई है।

क. स.	बोलीदाता	बोली की राशी I	II
1.	श्री हंसराम पुत्र श्री सुखराम जाति कुम्हार साकिन खरसण्डी	300	460
2.	श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री मादरराम जाति जाट साकिन खरसण्डी	360	480
3.	श्री बेगराज पुत्र श्री राजेराम जाति जाट साकिन खरसण्डी	400	
4.	श्री प्रताप पुत्र श्री मलाराम जाति जाट साकिन खरसण्डी	420	

उपरोक्त में श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री मादरराम जाति जाट साकिन खरसण्डी की बोली उच्चतम रही है। अतः उक्त के नाम फसल निलामी छोड़ी गई है।

सुरेश कुमार

हंसराम

बेगराज

प्रताप

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Kiroriwal
Date: 2021.11.11 17:31:45 IST
Reason: SelfAttested

ओम
21/10/2021
राजस्व पटवारी
प.म. ललानिया

भू.अभि.नि. जबरासर
21-10-2021

21/10/21

कार्यालय तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ

क्रमांक / राजस्व / 2021 / 1179 दिनांकः 28.10.2021

आदेश

इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 16 / 2021 में निर्णय दिनांक 28.10.2021 के द्वारा अप्रार्थीगण सं0 1 हसराज भालाराम पि0 नानूराम जाति नाई साकिन खरसण्डी द्वारा गै0मु0 रास्ता की भूमि खसरा नं. 124 की कुल 6.942 है0 मे से 0.026 है0 ग्वार 2 भादरराम लादुराम पि0 मोटाराम सुभाष पुत्र मोमनराम जाति कुम्हार साकिन खरसण्डी द्वारा गै0मु0 रास्ता की भूमि खसरा नं. 124 की कुल 6.942 है0 मे से 0.063 है0 ग्वार एवं 0.126 है0 में बाजरी 3 गोपीचन्द सुलतान गोरधन पि0 हरलाल जाति कुम्हार साकिन खरसण्डी द्वारा गै0मु0 रास्ता की भूमि खसरा नं. 124 की कुल 6.942 है0 मे से 0.063 है0 तिल एवं 0.063 में मुंग नाजायज काश्त करने की पटवारी हल्का की रिर्पोट प्राप्त होने पर अतिक्रमी घोषित किया जाकर भू0अ0नि0 जबरासर को अतिक्रमी को बेदखली आदेश दिया गया है तथा जुर्माना स्वरूप राशि 50 रूपये से तावान दण्डित किया गया है।

अतः उक्त अतिक्रमी को विवादित भूमि में किसी न्यायालय का स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तुरन्त नियमानुसार बेदखल कर पालना रिपोर्ट सात दिवस में प्रस्तुत करे।

तहसीलदार (राजस्व)
नोहर

क्रमाक / राजस्व / 2021 / 1179 दिनांकः– 28.10.2021

प्रतिलिपिः–निम्न को पालनार्थ प्रेषित हैः–

1. तहसील राजस्व लेखाकार मांग कायमी हेतु।
2. भू.अभिलेख निरीक्षक जबरासर को भेजकर लेख है कि अतिक्रमी को मौके से बेदखल कर पालना रिपोर्ट सात योम में प्रस्तुत करें।
3. पटवारी हल्का ललानिया को भेजकर लेख है कि तावान की वसूली कर बेदखली की कार्यवाही करे।

तहसीलदार (राजस्व)
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Kiroriwal
Date: 2021.11.11 17:31:45 IST
Reason: SelfAttested